**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, संत कबीर नगर।**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1208/2026**

**(CNR–UPSK010029922026)**

सूरज पुत्र तीजू निवासी जमुअरिया थाना मेहदावल जिला संत कबीर नगर।

**.....आवेदक/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

**.....विपक्षी**

मु०अ०सं०–299/2026
धारा–109 (1),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–मेहदावल, जिला–संत कबीर नगर।

**निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र**

आवेदक/अभियुक्त **सूरज** द्वारा मु०अ०सं०–299/2026, धारा–109 (1), 352, 351(3) बी०एन०एस, थाना–मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर द्वारा दिनांक–23.07.2026 को निरस्त किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर दिया गया है कि– प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी बेगुनाह है, रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी गरीब व कमजोर व्यक्ति है, PRD में नौकरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वादी मुकदमा ने मात्र जमीनी रंजिश में भ्रामक व आधारहीन कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र देकर स्थानीय थाने को अपने प्रभाव में लेकर फर्जी मुकदमें में फंसाया है। प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित अपराध से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने न ही किसी पर जान लेवा हमला किया है, न ही मारा पीटा है और न ही किसी को गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी ही दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के भाई को सिर्फ धक्का देना कहा जाता है। प्रार्थी के पास किसी प्रकार का हथियार होना और प्रार्थी द्वारा किसी हथियार से हमला करना नहीं कहा जाता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त की ओर से जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध

Digitally signed by Gajendra
Date: 2026.08.12 16:45:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कब्जा किया गया है जिसमें वादी मुकदमा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद P.I.L. संख्या 1675/2026 के आदेश की बात को लेकर इन लोगों के द्वारा जानबूझकर समय लगभग 6.30 बजे शाम वादी मुकदमा के घर पर चढ़कर मां–बहन की गाली देते हुये उसके भाई राम अजाद के ऊपर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किये। वादी मुकदमा का भाई जान बचाने की कोशिश किया जिससे कंधे पर गम्भीर चोट आयी। आसपास के लोगों द्वारा द्वारा घटना की सूचना मिली घर जाने पर देखा तो उसका भाई घायल अवस्था में पड़ा था। भाई से जब उसने पूछा तो उसके भाई ने उसे बताया कि इस घटना में उसके गांव के ज्ञानदास पुत्र तीजू, राजेश्वर पुत्र जंगी, सूरज पुत्र तीजू उसको गिरा दिये तथा अभिषेक पुत्र सूरज चाकू से वार कर रहा था, जिससे उसे चोटे आयी थी तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त बेगुनाह है, रंजिशन फंसाया गया है। जमीन से संबंधित सिविल वाद को आपराधिक रंग देने के लिये वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया गया है जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल P.I.L. संख्या 1675/2026 दाखिल की गयी, जिससे चिढ़कर अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तों ने मिलकर वादी मुकदमा के घर पर चढ़ाई करके मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये वादी मुकदमा के भाई राम अजाद को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करके गंभीर चोटें कारित की गयी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या व केस डायरी सहित पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सहअभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2026 को खारिज की जा चुकी है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के आधार नियमित जमानत प्रार्थना पत्र से पूर्णतः भिन्न होते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त की पूर्व दोष–सिद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। मेडिकल रिपोर्ट में वादी मुकदमा के भाई/चोटहिल को कुल 02 चोटें कंधे के पास आना अंकित है, जिन्हें चिकित्सक द्वारा सामान्य प्रकृति की होना बताया गया है। अभियुक्त

दिनांक 22.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त **सूरज** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त मामले में **सत्तर हजार रूपये** के **व्यक्तिगत बंधपत्र** एवं समान धनराशि के **दो प्रतिभू** दाखिल करने पर, अवर न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1.आवेदक/अभियुक्त, मामले के विचारण में सहयोग करेगा।

2.आवेदक/अभियुक्त , अभियोजन साक्षियों को डरायेगा व धमकायेगा नहीं।

3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

4.अभियुक्त इस प्रकार की या अन्य किसी आपराधिक घटना में सम्मिलित नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर विचारण न्यायालय स्वतः या संबंधित पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जमानत निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

**दिनांक**–12.08.2026

**(गजेन्द्र)**

[J.O.Code–UP6291]

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,

सन्त कबीर नगर।